ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत लगने वाली इकाइयों को 100% स्टांप छूट

लखनऊ। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना के लिए जमीन पर सौ फीसदी स्टांप छूट मिलेगी। इस संबंध में मंगलवार को स्टांप एवं पंजीयन विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने शासनादेश जारी कर दिया। इस

स्टांप एवं पंजीयन विभाग ने जारी किया शासनादेश

परियोजना के लिए ग्राम समाज व सरकारी भूमि 30 वर्ष के लिए लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए लीज का मूल्य एक रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष होगा। जबकि निजी निवेशकों के लिए यह 15 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष होगा। यह भूमि अहस्तांतरणीय होगी और यदि आवंटन होने के तीन वर्ष के भीतर भूमि ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो वह वापस ले ली जाएगी।

सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी थी। इससे वर्ष 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा है। इस नीति के तहत पांच साल में उद्योग लगाने वालों को कई लाभ व प्रोत्साहन मिलेंगे। वहीं, करीब 1.20 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। नीति के संचालन के लिए यूपीनेडा नोडल एजेंसी नामित किया गया है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन, ऊर्वरक, पेट्रोकेमिकल और स्टील प्लांट आदि में होता है। अभी तक बिजली व गैस आधारित तकनीक से हाइड्रोजन पैदा की जाती थी, जिसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। इसे ग्रीन हाइड्रोजन में बदलने की दिशा में काम शुरू हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की अवधि पांच साल रखी गई है। इस दौरान लगने वाले उद्योगों को 10 से 30% तक पूंजीगत खर्च पर सब्सिडी मिलेगी। पहले पांच उद्योगों को 40 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। ब्यूरो